

प्रेषित:

The Principal/Headmaster,
All Dropping/Collection/ Examination Centres
Annual Examination April/May 2021

विषय:- अप्रैल/मई, 2021 की परीक्षाओं की परीक्षा सामग्री(प्रश्न पत्र, उत्तरपुस्तिकाएं इत्यादि) के सुरक्षित भण्डार बारे।

महोदय/महोदया,

जैसाकि आपको विदित है कि मैट्रिक, जमा दो Regular तथा SOS मिडल, मैट्रिक, जमा दो की वार्षिक परीक्षाओं को हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या HB(19)Conduct-1-CF-1(III)2021/15777-18027 दिनांक 14.04.2021 के अन्तर्गत दिनांक 17.05.2021 तक स्थगित कर दिया है। परीक्षाओं से सम्बन्धित सामग्री जैसे प्रश्न-पत्र, उत्तरपुस्तिकाओं इत्यादि के सुरक्षित भण्डार को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए:-

1. समस्त परीक्षा केन्द्र प्रश्न-पत्रों को बाक्स/पैक्ट के उपर हस्ताक्षर सहित स्टिकर लगाकर सुरक्षा की दृष्टि से सील बन्द करके ड्रापिंग/कलैक्शन केन्द्र में जमा करवाएंगे।
2. अप्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं को बाक्स/पैक्ट में बन्द करने उपरान्त हस्ताक्षर सहित स्टिकर लगाकर सील बन्द करने उपरान्त ड्रापिंग/कलैक्शन केन्द्र में जमा करवाएंगे।
3. समस्त परीक्षा केन्द्र दिनांक 13.04.2021 को सम्पन्न परीक्षाओं की लिखित उत्तरपुस्तिकाओं को यथा निर्देशानुसार सुरक्षित सील लगाकर ड्रापिंग/कलैक्शन केन्द्र में जमा करवाएंगे।
4. सम्बन्धित ड्रापिंग/कलैक्शन केन्द्रों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक परीक्षा सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त समस्त परीक्षा सामग्री पूर्ण रूप से सील बन्द हो।
5. समस्त अन्य परीक्षा केन्द्र ड्रापिंग/कलैक्शन केन्द्र के अतिरिक्त अपने चौकीदार जोकि परीक्षा सामग्री की देखभाल के लिए नियुक्त किए गए थे, को कार्याभार मुक्त करेंगे।
6. सम्बन्धित ड्रापिंग/कलैक्शन केन्द्रों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त परीक्षा सामग्री को सुरक्षित हाल/कमरे में रखा जाना सुनिश्चित करेंगे। हाल/कमरा अन्दर व बाहर से CCTV कैमरे की निगरानी में होना चाहिए।
7. सम्बन्धित ड्रापिंग/कलैक्शन केन्द्रों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक हाल/कमरा जोकि परीक्षा सामग्री के भण्डार के लिए प्रयोग में लाया जाना है को सही तरीके से सील करेंगे तथा आगामी आदेशों तक दिन-रात इसकी निगरानी के लिए चौकीदार की व्यवस्था करेंगे।
8. परीक्षा केन्द्रों में बोर्ड द्वारा भेजे गए केन्द्र अधीक्षक पैक्ट का सुरक्षित भण्डारण अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।
9. सम्बन्धित ड्रापिंग/कलैक्शन केन्द्रों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक व परीक्षा केन्द्र समन्वयक परीक्षा सामग्री के सुरक्षित भण्डारण उपरान्त बोर्ड को इसकी सूचना प्रेषित करेंगे।
10. उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही/अनियमितता पाए जाने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ड्रापिंग/कलैक्शन केन्द्रों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक व परीक्षा केन्द्र समन्वयक का होगा।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171001।
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।
3. समस्त उप-निदेशक, उच्चतर शिक्षा को इस आशय के साथ कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं।

सचिव

दिनांक: 16/4/2021

सचिव